



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

एनडीपीएस एक्ट के आरोपी इन्तजार व 01 महिला को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्त- 1- इन्तजार पुत्र ईस्तयाक निवासी नई बस्ती खुब्बीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत, 2- 01 महिला द्वारा वर्ष-2019 में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0- 695/2019 व 696/2019 व धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ था। इन अभियोगों में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 26.09.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज/एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त इन्तजार व 01 महिला को दोषी पाते हुए प्रत्येक को **01 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 26.09.2023

थाना रमाला पुलिस ने पर थाने के मु0अ0सं0 118/23 धारा 380 भादवि एवं मु0अ0सं0 150/23 धारा 379 भादवि व 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

1-दिनांक 04.05.2023 को वादी श्री योगेन्द्र पुत्र यशपाल निवासी गूंगाखेडी थाना रमाला बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसकी 01 भैंस, 01 कटिया व उसके पड़ोसी हरेन्द्र की एक भैंस चोरी कर ली गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 118/23 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।



उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों 1 -दाउद पुत्र अलीहसन निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत, 2 -कासिम पुत्र नसीरउद्दीन , 3 -शोएब पुत्र कासिम निवासी गण ग्राम कासिमपुर खेडी थाना रमाला जनपद बागपत , 4 -सोनू उर्फ वहाब पुत्र रईस निवासी कस्बा हर्रा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ , 5. शहजाद उर्फ बिल्लू पुत्र सगीर उर्फ लाला निवासी करीमपुर जिवानी थाना रमाला जनपद बागपत, 6-मोनू पुत्र काला निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये।

2-दिनांक 03.06.2023 को वादिया ने थाना रमाला पर सूचना दी कि बाईस्तवा अभियुक्त दाउद पुत्र अलीहसन नि वासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत व 2-3 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसकी गाय को चोरी करके जंगल ग्राम जिवाना में वध कर दि या है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 150/23 धारा 379 भादवि व 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधि नियम पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान अभियुक्तों 1 -दाउद पुत्र अलीहसन निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत, 2-कासिम पुत्र बसीरुद्दीन उर्फ नसीबूद्दीन, 3-सोएब पुत्र कासिम नि वासीगण ग्राम कासिमपुर खेडी थाना रमाला जनपद बागपत, 4 -सोनू उर्फ वहाब पुत्र रईस निवासी कस्बा हर्रा खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ के नाम प्रकाश में आये।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना रमाला पुलिस द्वारा दिनांक 03.06.2023 को अभियुक्त दाउद पुत्र अलीहसन निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 118/23 धारा 380 भादवि एवं मु0अ0सं0 150/23 धारा 379 भादवि व 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त सोनू उर्फ वहाब पुत्र रईस निवासी कस्बा हर्रा खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा0 कारतूस बरामद किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू उर्फ वहाब पुत्र रईस निवासी कस्बा हर्रा खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 118/23 धारा 380 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 150/23 धारा 379 भादवि व 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम
थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 264/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 068/2023 धारा 3/5/ 8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधि नियम थाना
सरूरपुर जनपद मेरठ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सुनहरा सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-है0का0 263 आरिफ मौ0 थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-पीआरडी दीपक कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 26.09.2023

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

सतीश पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम किशनपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री अमर सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 306 राजीव कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का० 1076 विकास यादव थाना रमाला जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 26.09.2023

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 213/236 धारा
147/452/323/506/307 भादवि में वांछित 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.09.2023 को थाना छपरौली पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त 1.सलीम पुत्र नजबू, 2.शाहिद पुत्र सलीम, 3.साहिल पुत्र सलीम, 4.सुहेल पुत्र सलीम, 5.एक महिला निवासीगण ग्राम शबगा थाना छपरौली द्वारा वादिया के घर में घुसकर वादिया तथा वादिया के



पुत्र शिवम के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु०अ०सं० 213/2023 धारा 147/ 452/323 /506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के थाने के मु0अ0सं0 213/23 धारा 147/452/323/ 506/307 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना छपरौली पुलिस द्वारा दिनांक-19-09-2023 को सलीम पुत्र नजबू निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शाहिद पुत्र सलीम निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-सुहेल पुत्र सलीम निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री बृक्षपाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत
- 2-का0 953 अंकुल थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 3-हो0गा0 523 सतेन्द्रपाल थाना छपरौली जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना छपरौली

दिनांक 26.09.2023

थाना छपरौली द्वारा थाने के मु0अ0सं0 205/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में
वांछित 10 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त अनिकेत उर्फ निक्का को किया
गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में
अपराधों की रोकथाम एवं
गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की
गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे
अभियान के अन्तर्गत थाना
छपरौली पुलिस द्वारा थाने के
मु0अ0सं0 205/2023 धारा
2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित



10,000 रुपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त
अभियुक्त अनिकेत उर्फ निक्का की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा
10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर आवश्यक विधिक
कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना छपरौली पुलिस द्वारा दिनांक 20-09-2023 को
10,000 रुपये के इनामी अभियुक्त जुनैद व दिनांक 23-09-2023 को 10,000
रुपये के इनामी अभियुक्त विशाल को गिरफ्तार कर जेला भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अनिकेत उर्फ निक्का पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना
जनपद शामली।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 12/23 धारा 392/411 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 23/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 205/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-SHO श्री रवि रतन सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-व0उ0नि0 श्री गवेन्द्र सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।

3-है0का0 526 मनीष थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 26.09.2023

थाना दोघट पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

नवल पुत्र निर्मल निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना दोघट जनपद बागपत।

2-का0 951 पिताम्बर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।